लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक
49/2023	02.06.2023	17.11.2025

उनवान

1. श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री नानूराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम धिनोई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादीया–

बनाम

1. प्रभूराम पुत्र मंगला, उम्र वयस्क,
2. बीजाराम पुत्र मंगला, उम्र वयस्क,
   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीयान् ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. प्रेम देवी पुत्री मंगला. पत्नी मुरलीधर, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी पानी की टंकी के पास, ग्राम बिहारीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. फुली देवी पुत्री मंगला पत्नी रामलाल, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी रामसिंह की ढाणी, ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
5. लाडा देवी पुत्री मंगला, पत्नी गोपाल, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी मेहता की ढाणी, विमलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ।
7. उप–पंजियक महोदय, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
8. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांकः– 17.11.2025

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 20.08.2025 को कुरेजात प्राप्त हुए। पत्रावली पर अधिवक्ता उभयपक्ष के निवेदन पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिकार्ड, कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 20.08.2025 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा आदेशिका पर वाद डिक्री किये जाने बाबत लिखित सहमति प्रदान की गई। जिससे वादीया का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 20.08.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Parihar
17/11/25

अतः वादीया का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 20.08.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम घिनोई, पटवार हल्का घिनोई, तहसील चौमूँ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 102 के हाल खसरा नम्बर 980 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 981 रकबा 1.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 986 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.09 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 6.09 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. छोटी देवी पत्नी नानूराम जाति बागडा ब्रा. सा. बरना तह. आमेर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा चौमूं को खसरा नम्बर 3238 रकबा 1.4550 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3239/2 रकबा 1.5021 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3240/2 रकबा 0.0370 हैक्टेयर, कुल किता 03 का कुल रकबा 2.9941 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. बीजाराम पुत्र मंगला हि.1/5 जाति बागडा ब्रा. सा. देह राहिन ओ.बी.सी. शाखा कालाडेरा प्रभूराम प्रेमदेवी फूलीदेवी लाडादेवी पि. मंगला हि.4/5 जाति बागडा ब्रा. सा. देह खातेदार को खसरा नम्बर 3239/1 रकबा 0.0692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3240/1 रकबा 2.6869 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3242 रकबा 0.0949 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3247 रकबा 0.1431 हैक्टेयर, कुल किता 04 का कुल रकबा 2.9941 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. छोटी देवी पत्नी नानूराम हि.1/2 जाति बागडा ब्रा. सा. बरना तह. आमेर राहिन स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा चौमू बीजाराम पुत्र मंगला हि. 1/10 जाति बागडा ब्रा. सा. देह राहिन ओ. बी.सी. शाखा कालाडेरा प्रभूराम प्रेमदेवी फूलीदेवी लाडादेवी पि. मंगला हि. 2/5 जाति बागडा ब्रा. सा. देह खातेदार को खसरा नम्बर 3249 रकबा 0.0636 हैक्टेयर, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.0636 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) चौमूं के जरिये पंत्राक/भू0अ0/2025/6967 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore
13/11/25

दिलीप सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर